पत्रांक—1/प्रा0आ0(2)—24/2006 726 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

उरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा... आपदा...

प्रेषक,
प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना—15, दिनांक— 15/3/17

विषय— अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के कम में अग्निकांड पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की आपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपिंग सेट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्क्रमण मद से करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 07.03.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहुत अग्निकांड के बचाव से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा के कम में कतिपय जिला पदाधिकारी के द्वारा अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के कम में अग्निकांड पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की अपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपिंग सेट मे होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्क्रमण मद से करने की अपेक्षा की गई है, का स्मरण किया जाए। सम्यक विचारोपरान्त निम्न निदेश दिए जा रहे हैं:—

1. अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के कम मे अग्निकांड पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर मे पानी की अपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपिंग सेट मे होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्क्रमण मद से की जाएगी।

2. इसमें पम्पपिंग सेट का किराया, चालक का भुगतान, आपूरित ईंधन मे होने वाले व्यय, जल स्रोतो से पम्पपिंग सेट तक पानी को लाने हेतु लगने वाले पाईप इत्यादि का व्यय शामिल होगा।

3. इसमें होने वाले व्यय के लेखे का नियमानुसार संधारण किया जाएगा एवं इसका सत्यापन स्थानीय तौर पर संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन
15/3
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 126 / आ० प्र० दिनांक 23.3.17
प्रतिलिपि:— सभी अंचलाधिकारी जिला—मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि:— अनुमंडलाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा मधेपुरा
20.3.17

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय– **अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के कम में अग्निकांड पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की आपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपिंग सेट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्कमण मद से करनें के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 07.03.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहुत अग्निकांड के बचाव से संबधित समीक्षात्मक बैठक में सभी जिलो के जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा के कम में कतिपय जिला पदाधिकारी के द्वारा अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के कम में अग्निकांड पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की अपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपिंग सेट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्कमण मद से करने की अपेक्षा की गई है, का स्मरण किया जाए। सम्यक विचारोपरान्त निम्न निदेश दिए जा रहे हैं:–

1. अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव के कम में अग्निकांड पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर फायर टेंडर में पानी की अपूर्ति हेतु उपयोग किए जा रहे पम्पपिंग सेट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आबादी निष्कमण मद से की जाएगी।
2. इसमें पम्पपिंग सेट का किराया, चालक का भुगतान, आपूरित ईंधन में होने वाले व्यय, जल स्रोतो से पम्पपिंग सेट तक पानी को लाने हेतु लगने वाले पाईप इत्यादि का व्यय शामिल होगा।
3. इसमें होने वाले व्यय के लेखे का नियमानुसार संधारण किया जाएगा एवं इसका सत्यापन स्थानीय तौर पर संबधित अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 726 /आ०प्र०.   पटना–15, दिनांक– 15/3/17

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

3434

128

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा ...

पत्रांक–1/प्रा0आ0(2)–24/2006 725 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,
प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 15/3/17

विषय– **भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबध मे पूर्व में दिए गए मार्ग निर्देशन में आंशिक संशोधन के संबध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 52(प्र0)/आ0प्र0, दिनांक–26.05.2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पूर्व मे भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के सचालन के संबध मे दिए गए निदेश का स्मरण किया जाय। दिनांक 07.03.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता मे आहुत अग्निकांड के बचाव से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मे सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा के क्रम में कतिपय जिला पदाधिकारियों के द्वारा राहत केन्द्र के संचालन मे पूर्व के वर्षो में बाढ के दौरान विभागीय निदेश की तरह अग्निकांड के मद्देनजर संचालित विशेष राहत शिविर के संचालन में संशोधन की अपेक्षा की गई है। सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत इन निदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए विशेष राहत केन्द्रो के संचालन के संबंध मे निम्न अनुदेश दिए जा रहे हैं–

1. **पंजीकरण** – कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस हेतु एक रजिस्ट्रेशन काउन्टर खोला जाय, जो रजिस्ट्रेशन–सह–नियंत्रण कक्ष के रूप मे कार्य करेगा। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/ सेविका/ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/ साक्षरता/ सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/ शिक्षक/ पंचायत रोजगार सेवक आदि की सेवा ली जा सकती है। यदि विशेष राहत केन्द्र में विस्थापितों की संख्या अधिक हो तो ध्वनी विस्तारक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

2. **पका हुआ भोजन** – विस्थापितों को पका हुआ भोजन दो बार (दोपहर–शाम) के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता मुहैय्या कराया जाना है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था मे खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) अथवा राहत शिविरों में प्रभावितों के माध्यम से कराया जा सकता है।

राहत शिवरों में भोजन तैयार करने, भोजन परोसने एवं राहत शिविरों के साफ–सफाई के लिए रसोइयें/ अन्य आदमियों की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/ पुरूषों के बीच से ही चुने हुए Volunteers की सेवाए ली जा सकती है। इन कार्यों के लिए प्रत्येक Volunteers को प्रतिदिन `200/- (दो सौ रूपये) अथवा श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर जो भी अधिक हो पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलो में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन के रसोईया अथवा आगनबाडी की सहायिका को उपलब्धता के आधार पर रखा जा सकता है।

यदि यह संभव न हो तो निर्वाचन के समय भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।

पका हुआ भोजन बनाने में आए व्यय की प्रतिपूर्ति खाद्यान्न की आपूर्ति मद से की जाएगी।

पका हुआ भोजन स्वच्छ एव पौष्टिक होना चाहिए। **इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।**

3. **दरी/ चटाई** – विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प मे दरी/ चटाई की व्यवस्था की जायेगी।

4. **बच्चों के लिए दुग्ध** – पाँच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चो को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह – शाम) आवश्यकतानुसार दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति खाद्यान्न की आपूर्ति मद से की जायगी।

5. **रोशनी** – कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। ऊर्जा विभाग द्वारा राहत केन्द्रों मे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। यदि यह संभव न हो तो इसके लिए generator में diesel/kerosence, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जनसंख्या का निष्क्रमण मद से की जाएगी।

6. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता** – राहत केन्द्रो में पेयजल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटर्जेन्ट पाउडर, फेनाईल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयसेवी संस्थाओं की सेवाए ली जा सकती है। राहत केन्द्रो में सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

7. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा** – राहत केन्द्रों में औषधि के साथ चिकित्सक एव स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। गर्भवती महिलाओं के प्रसूति की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

8. **सुरक्षा व्यवस्था** – अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायगी।

9 मानदर – राहत केन्द्रों हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित किया जाता है :-

1. पका हुआ भोजन	(क) तीन वक्त (सुबह–दोपहर–शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा।
	(ख) चावल प्रति वयस्क - 500 ग्राम, प्रति अवयस्क - 200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा।
	(ग) दाल 100 ग्राम, वयस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा।
	(घ) सब्जी प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 20 रू0 की दर से।
	(छ) रसोईयो के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
	(ज) चावल, दाल, तेल, सब्जी एवं ईंधन के दर का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा पूर्व से ही कर लिया जाएगा।
2. रोशनी	(क) ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति अथवा आवश्यकतानुसार भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।
	(ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल अनुमान्य होगा।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आकलन जिला पदाधिकारी द्वारा

	किया जाएगा।
3. दरी / चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था / स्वयसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति मे जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कारवाई करेंगे।
4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा।
	(ख) मुहैय्या कराये गए दुग्ध अथवा मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. पेयजल / अस्थायी शौचालय / स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी।
6. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी।
7. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय – यथा आवश्यकता।

10. **लेखा / पंजियों का संधारण** – राहत केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजिया संधारित की जाएगी।

(क) लेखा से संबंधित रोकड़ बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियत्रण / सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियो की भी एक पंजी अलग से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(घ) बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री को उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा–जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

राहत केन्द्रों की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा :-

1.	भोजन सामग्री एवं बच्चों के लिए दुग्ध	2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति
2.	सूखा राशन/ दरी/ चटाई/ ध्वनी विस्तारक यंत्र एवं रोशनी	2245–02–112–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण
3.	पेयजल	2245–02–102–0001– पेयजल की आपूर्ति
4.	अस्थायी शौचालय	2245–02–109–0001– खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष निर्गत निदेश यथावत रहेंगे। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ____ / आ० प्र० दिनांक ____

प्रतिलिपिः- सभी अंचलाधिकारी मधेपुरा जिला - ~~[illegible]~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडलाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
आपदा प्रबंधन शाखा
[illegible] मधेपुरा
20/3/13